फैक्स/स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या–सी/सी0आई0मिस0–4031/2014................../

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
मुंगेर

पटना, दिनांक–.................

विषयः– जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्र सं0–133/आ0प्र0, दिनांक 20.04.2016 के आलोक में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा में मृत स्व0 दलजीत सिंह, सदर बाजार, जमालपुर, मुंगेर की धर्मपत्नी श्रीमति राज कौर की मृत्यु के उपरांत स्व0 सिंह के अन्य निकटतम संबंधी (Next of Kin) को सहायता राशि का भुगतान कराने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–13018/46/2005–दिल्ली–I(एन0सी0), दिनांक 16.12.2014 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त राहत राशि कुल रू0 5.00 लाख (पांच लाख रू0) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, मुंगेर को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, मुंगेर को वर्तमान आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, मुंगेर को कुल आवंटित राशि
शून्य	रू0 5,00,000.00(पाँच लाख रू0) मात्र	रू0 5,00,000.00(पाँच लाख रू0) मात्र

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्रांक–13018/46/2005–दिल्ली–I(एन0सी0), दिनांक 16.12.2014 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को रू0 5.00 लाख (पांच लाख रू0) मात्र प्रति मृतक की दर से अतिरिक्त राहत राशि की स्वीकृति दिए जाने के कारण उक्त दंगा में मारे गए व्यक्ति स्व0 दलजीत सिंह, सदर बाजार, जामालपुर मुंगेर की धर्मपत्नी श्रीमती राज कौर की मृत्यु के उपरांत स्व0 सिंह के अन्य निकटतम संबंधी/आश्रित को रू0 5.00 लाख का भुगतान कराने हेतु अतिरिक्त राहत राशि उपलब्ध कराई जा ही है।

3. उक्त स्वीकृत एवं आवंटित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में मांग संख्या–22 के अन्तर्गत बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष–0004–दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (विपत्र कोड संख्या एन 223560200004) के अन्तर्गत विषय शीर्ष–31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, मुंगेर होंगे। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–4989/बी (2), दिनांक 16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, मुंगेर से की जाएगी।

6. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, मुंगेर को उनके पत्र संख्या–133/आ0प्र0, दिनांक 20.04.2016 में अंकित व्यक्तियों को ''पुनर्वास पैकेज'' के अन्तर्गत अतिरिक्त राहत राशि के रूप में भुगतान करने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा राशि का भुगतान वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा में मारे गए व्यक्ति

स्व0 दलजीत सिंह के निकटतम आश्रित की समुचित पहचान कर किया जा रहा है।

7. उक्त राशि का भुगतान केवल ''एकाउन्ट पेई चेक'' द्वारा ही किया जाएगा।

8. यह स्वीकृति एवं आवंटनादेश वित विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संदर्भगत पत्र में निहित निदेशों के अनुपालन का दायित्व जिला पदाधिकारी, मुंगेर का होगा।

9. जिला पदाधिकारी, मुंगेर का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में मूल रूप में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय (अधिकतम 15 दिनों के अंदर) निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ताकि भुगतान कराई गई राशि के प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उनके पत्र सं0-133/आ0प्र0, दिनांक 20.04.2016 में अंकित व्यक्तियों को पूनर्वास पैकेज के अन्तर्गत अतिरिक्त राहत राशि के रूप में भुगतान के लिए किया जाएगा। किसी अन्य मद में इसका विचलन नहीं किया जाएगा।

11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 के समापन के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जाएगा।

अनुलग्नकः- यथोक्त।

ह0/-
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः- सी/सी0आई0मिस0-4031/14...................., पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- सी/सी0आई0मिस0-4031/14...................., पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुंगेर/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- सी/सी0आई0मिस0-4031/14...................., पटना, दिनांक
प्रतिलिपिः- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-''ए'' को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- सी/सी0आई0मिस0-4031/14...4515...., पटना, दिनांक 11-5-16
प्रतिलिपिः- आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 10.05.16
सरकार के विशेष सचिव।

SEC C:D:MAH